राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2224/2015

नन्दलाल अलावदा **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.09.2015
आदेश की दिनांक : 18.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर पर्यटन विभाग, कोटा में कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.11.1997 को परिपत्र जारी किया गया, जिसमें नया रोस्टर आरक्षण निर्धारित किया गया। उक्त परिपत्र के बिंदु संख्या 5 एवं 6 में यह उल्लेखित किया गया कि जो अधिकारी नियमित नियुक्त किये गये हैं, उनकों रोस्टर अनुसार वरिष्ठता दी जावे और यदि अतिरिक्त हैं तो उनको भविष्य में आगे समायोजित किया जावे। दिनांक 20.11.1997 को उप निदेशक के 3 पद स्वीकृत किये गये और वर्ष 1998–99 में उप निदेशक के 5 पद भरे गये तथा वर्ष 2002–03 में श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत का नाम भी क्रम संख्या 6 पर जोडा गया। इस प्रकार 6 उप निदेशक दिनांक 11.03.2004 तक थे। श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत के निधन हो जाने के बाद एक पद वर्ष 2004–05 में रिक्त था और जो रोस्टर पाईंट के आधार पर एससी अभ्यर्थी के लिये आरक्षित था। श्री गणेश लाल साल्वी जो एससी अभ्यर्थी था और वर्ष 1995–96 से

वर्ष 2004–05 तक उप निदेशक था और श्री उमराव सिंह सामान्य वर्ग अभ्यर्थी को आदेश दिनांक 11.03.2005 के द्वारा उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि उक्त परिपत्र के बिंदु संख्या 6 के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को पदोन्नत कर पद भरा गया और डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2010 के द्वारा उप निदेशक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को सामान्य वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। परिपत्र दिनांक 20.11.1997 के बिंदु संख्या 6 के अनुसार कोई भी एससी अभ्यर्थी सामायोजित/पदोन्नत नहीं किया जा सकता यदि वर्ग संबंधित अभ्यर्थी उपलब्ध है। श्री गणेश लाल साल्वी को रिक्ति वर्ष 2004–05 में एल शेप रोस्टर के आधार पर उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नति का विधिक अधिकार रखता है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु कोई विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.11.1997 के बिंदु संख्या 6 में तत्समय पद विशेष पर आधिक्य में कार्यरत आरक्षित वर्ग के कार्मिकों के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। 8 या 8 से कम पद का कैडर स्ट्रेंथ होने पर पदोन्नति हेतु एल शेप रोस्टर प्रभावी है, जिसके अनुसार एक बार आरक्षण की पूर्ण पालना होने पर ही रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। अन्यथा एल शेप में आने वाले पदों के आरक्षण के आधार पर तथा वरिष्ठतम कार्मिक को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाता है। इस प्रकरण में अनुसूचित जाति का एक पद श्री साल्वी के उप निदेशक के पद पर पदोन्नति से भरा जा चुका है। एल शेप में बिंदुवार गिनती करने पर पुनः 14वां बिंदु अनुसूचित जाति के लिये उपलब्ध होगा। अनुसूचित जनजाति के पद पर किसी भी अनुसूचित जनजाति के कार्मिक को पदोन्नति नहीं मिली है। अतः रिप्लेसमेंट नहीं होगा और इस प्रकार 9 पदों से कम पद होने पर एल शेप रोस्टर लागू होता है, जिसमें 7वें नंम्बर का बिंदु अनुसूचित जाति का बनता है। श्री गणेश लाल साल्वी (अनुसूचित जाति) का उप निदेशक के

पद पर पदोन्नति होने के कारण एवं कार्मिक विभाग द्वारा दी गई राय के अनुसार उप निदेशक के पद पर वर्ष 2004–05 में रिक्त पद पर श्री उमराव सिंह को उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, जो नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि रोस्टर लागू होने के बाद उप निदेशक रोस्टर बिंदु संख्या 7 जो कि अनुसूचित जाति वर्ग को दिया जाना है। प्रथम बार अपीलार्थी के माध्यम से ही भरा जाना था। एल शेप रोस्टर में रिप्लेसमेंट नियम लागू नहीं होता है। किसी भी जाति वर्ग का प्रतिनिधि उत्पन्न होने वाली रिक्ति को रिप्लेसमेंट बेसिस पर उसी जाति के प्रतिनिधि से न भरकर एल शेप रोस्टर में उपलब्ध अगले बिंदु से भरा जाता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर पर्यटन विभाग, कोटा में कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.11.1997 को परिपत्र जारी किया गया, जिसमें नया रोस्टर आरक्षण निर्धारित किया गया। उक्त परिपत्र के बिंदु संख्या 5 एवं 6 में यह उल्लेखित किया गया कि जो अधिकारी नियमित नियुक्त किये गये हैं, उनकों रोस्टर अनुसार वरिष्ठता दी जावे और यदि अतिरिक्त हैं तो उनको भविष्य में आगे समायोजित किया जावे। दिनांक 20.11.1997 को उप निदेशक के 3 पद स्वीकृत किये गये और वर्ष 1998–99 में उप निदेशक के 5 पद भरे गये तथा वर्ष 2002–03 में श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत का नाम भी क्रम संख्या 6 पर जोडा गया। इस प्रकार 6 उप निदेशक दिनांक 11.03.2004 तक थे। श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत के निधन हो जाने के बाद एक पद वर्ष 2004–05 में रिक्त था और जो रोस्टर पाईंट के आधार पर एससी अभ्यर्थी के लिये आरक्षित था। श्री गणेश लाल साल्वी जो एससी अभ्यर्थी था और वर्ष 1995–96 से वर्ष 2004–05 तक उप निदेशक था और श्री उमराव सिंह सामान्य वर्ग अभ्यर्थी को आदेश दिनांक 11.03.2005 के द्वारा उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अनुसूचित जाति का एक पद श्री साल्वी के उप निदेशक के पद पर पदोन्नति से भरा जा चुका है। एल शेप में बिंदुवार गिनती करने पर पुनः 14वां बिंदु अनुसूचित जाति के लिये उपलब्ध होगा। अनुसूचित जनजाति के पद पर

किसी भी अनुसूचित जनजाति के कार्मिक को पदोन्नति नहीं मिली है। अतः रिप्लेसमेंट नहीं होगा और इस प्रकार 9 पदों से कम पद होने पर एल शेप रोस्टर लागू होता है, जिसमें 7वें नंम्बर का बिंदु अनुसूचित जाति का बनता है। श्री गणेश लाल साल्वी (अनुसूचित जाति) का उप निदेशक के पद पर पदोन्नति होने के कारण एवं कार्मिक विभाग द्वारा दी गई राय के अनुसार उप निदेशक के पद पर वर्ष 2004–05 में रिक्त पद पर श्री उमराव सिंह को उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, जो नियमानुसार सही है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य